न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 20/20

GCMS NO 2020/00020

1. कजोडमल पुत्र जोला (जालम) जाति ढोली निवासी तारनपुर तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर(मृतक)

1/1. घापा देवी पत्नि स्व0 कजोडमल

1/2. कैलाश चन्द्र पुत्र स्व0कजोडमल

1/3. बाबूलाल पुत्र स्व0कजोडमल

1/4. सोनसिह पुत्र स्व0कजोडमल

1/5. मोहन सिह पुत्र स्व0कजोडमल

1/6. मनिषा पुत्री स्व0कजोडमल समस्त जातियान ढोली निवासीयान ग्राम पोस्ट तारनपुर तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार मलारना डूँगर
2. घनश्याम पुत्र जोला(जालम) जाति ढोली (मृतक)
3. हंसराज पुत्र घनश्याम हाज निवासी ग्राम पोस्ट माहरिया तहसील लालसोट जिला दौसा
4. गोविन्दी पत्नि घनश्याम(मृतक)
5. नवल बाई पुत्री घनश्याम हाल निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा
6. ममतेश पुत्री घनश्याम निवासी सेडूलाई के तालाब के पास लालसोट जिला दौसा
7. रूपसिह पुत्र कन्हैयालाल
8. सन्तोष पुत्र कन्हैया लाल
9. सागर पुत्र कन्हैया लाल
10. सुमेन्द्र उर्फ हनुमान पुत्र कन्हैया लाल
11. नाथी पत्नि कन्हैया लाल समस्त जातियान ढोली निवासीयान ग्राम पोस्ट तारनपुर तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

अपील विरूद्व मु0नं0 14/18 निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, मलारना डूँगर)

अभिभाषक अपीला0 श्री हरिमोहन जाट

अभिभाषक रैस्पो0 कोई उपस्थित नही

दिनांक 17.12.2024

Signature Not Verified

निर्णय

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:06:07 IST
Reason: Self Attested

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा [illegible] विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, मलारना डूँगर [illegible] है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/वादी संख्या 2 द्वारा एक वाद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय का पेश किया कि ग्राम तारनपुर मे भूमि ख0न0 9 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा , 131 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 246 रकबा 4 बिस्वा, 474 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा , 536 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा के वादीगण सहखातेदार काश्तकार है। वादीगण के पिता कृषि के अलावा ढोल बजाने का कार्य करते थे इस कारण जाति ढोली का नामाकरण हुआ। वादीगण पुर्वजो को ढोली कहकर पुकारा जाता रहा है तथा राजस्व रिकार्ड मे ढोली लिखा जाता रहा है। गुर्जर आरक्षण आन्दोलन मे तहसील कार्यालय बौली मे आग लगने के कारण समस्त रिकार्ड जल गया। वादी का राशन कार्ड जो 1977 मे बना है जिसमे जाति ढोली अंकित है। इसी प्रकार वादी की संतानो के जाति प्रमाण पत्र मे जाति ढोली अंकित है। जमाबंदी सम्वत 2044 से 2047 तक मे वादी के नाम के आगे जाति शब्द मे राणा लिख दिया गया। जिसे शुद्व कराने का वादी को हक हासिल है। इस कारण वादी की आराजीयात को बेचान करने एवं रहन रखने मे वादी को काफी परेशानी आती है। वादीगण के अलावा कुटुम्बीयो के राजस्व रिकार्ड मे नाम के आगे ढोली अंकित है सिर्फ वादीगण के नाम के आगे राणा अंकित हो गया है। इस प्रकार वादी का दावा डिक्री फरमाया जाकर वादीगण की जाति के नाम के आगे राणा के स्थान पर ढोली अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का दावा पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर वादीगण/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 बाबजूद सूचना के उपस्थित नही हुए। बहस अपीलांट अभिभाषक की अपील पर एक पक्षीय सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के दौरान जो आगजनी हुई थी उसमे तहसील कार्यालय बौली का रिकार्ड जल गया था उसमे वादी/अपीलांट का रिकार्ड भी था। ऐसी स्थिति मे वादी/अपीलांट राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नही कर पाया। अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र जो तहसीलदार द्वारा जारी किया गया है उसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज किया गया है। अपीलांट/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कई दस्तावेजात पेश किये गये थे जिसमे सभी मे अपीलांट व उनके पुत्र व पुत्रियो की जाति ढोली लिखी गई है। राणा नही है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी तहसीलदार था । प्रतिवादी द्वारा ही जाति प्रमाण पत्र जारी किये गये है। जारी प्रमाण पत्रो मे भी ढोली जाति का अंकन है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र जमाबंदी सम्वत 2044 से 2047 को आधार मानकर दावा निरस्त किया गया है। जो विधि विरूद्व है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रो को नही मानने का कोई कारण का उल्लेख नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय मे दावा इस आशय का पेश किया गया था कि गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के बाद जो रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by LaxmiKant Balot
Date: 2025.03.27 16:06:07 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

बनाया गया है उस रिकार्ड मे वादी की जाति राणा गलत दर्ज हो गई है। जिसे दुरूस्त कराना आवश्यक है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज किया गया है। गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के पश्चात बनाये गये राजस्व रिकार्ड मे जाति राणा का अंकन हो जाने के कारण वादी/अपीलांट बैक से किसी प्रकार का ऋण लेने से वंचित हो गया क्योकि ऋण लेते वक्त राशन कार्ड के अलावा राजस्व रिकार्ड भी मांगा जाता है। जाति प्रमाण पत्र हल्का पटवारी व वार्ड मेम्बर की रिपोर्ट के बाद जारी किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र एक दस्तावेज को आधार मानकर ही दावा खारिज किया है। जो निरस्त योग्य है। वादी घनश्याम के निधन के बाद उसके वारिसान वादी संख्या 1/1 ता 1/9 ने अपील करने से इंकार कर दिया इस कारण उनको रेस्पो0 बनाया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.19 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी की भूमि आराजी ख0न0 9 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, 131 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, 246 रकबा 4 विस्वा, 474 रकबा 3 बीघा 6 विस्वा , 536 रकबा 2 बीघा 18 विस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 8 बीघा 16 विस्वा वाके ग्राम तारनपुर तहसील मलारना डूँगर मे स्थित वादी की जाति राणा के स्थान पर जाति ढोली अंकित किये जाने के आदेश देते हुए वादी/अपीलार्थी का दावा डिक्री किये जाने के आदेश प्रदान करे।

अपीलांट अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि वादी द्वारा वाद पत्र राजस्व रिकार्ड मे जाति का अंकन राणा हो जाने के कारण उसको ढोली दर्ज कराने हेतु पेश किया गया था। अपीलांट/वादी द्वारा तहसील कार्यालय से जारी जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजात अधिनस्थ न्यायालय मे पेश कर जाति राणा की जगह ढोली दर्ज करने हेतु प्रार्थना की गई। वादी/अपीलांट द्वारा गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के दौरान आगजनी के पश्चात नवीन कायम राजस्व रिकार्ड मे जाति ढोली की जगह राणा अंकित हो जाने से जाति शुद्विकरण चाहा गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र जमाबंदी सम्वत 2044 से 2047 मे जेल्या पुत्र हरचन्दा की जाति राणा दर्ज होने एवं वादीगण मृतक जेल्या के वारिसान होने के आधार पर तथा वादी द्वारा जाति राणा की बजया ढोली दर्ज होने बाबत कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नही करने के आधार पर वादी का वाद पत्र खारिज किया गया है। जबकि राज्य सरकार की अधिसूचनाओ के अनुसार प्रत्येक जाति के संबंध मे परिपत्र जारी कर जाति का निर्धारण किया हुआ है। अपीलाट/वादी द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र जो तहसील कार्यालय से जारी हुए है जो संबंधित पटवारी हल्का की रिपोर्ट के पश्चात ही जारी होते है। जो अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी से स्पष्ट है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जाति उप जाति के संबंध मे जारी परिपत्रो का बिना अवलोकन किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो अपूर्ण निर्णय की श्रेणी मे आता है। जिसे अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा प्रकरण की तथ्यात्मक जॉच कर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित है।

अतःअपीलांट की रिमाण्ड योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के मु0नं0 14/18 निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.19 को अपास्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:36:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधापुर

किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य जाति से संबंधित दस्तावेजात की विधि सम्यक जॉच कर अति0मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर द्वारा जारी स्पष्टीकरण परिपत्र कमांक 48859 दिनांक 22.6.18 से अनुसूचित जाति की सूची मे सम्मिलित ढोली व्यक्तियो के संबंध मे है, एवं राज्य सरकार द्वारा जाति एवं उप जाति के संबंध मे जारी परिपत्रो का अवलोकन विवेचन करते हुए अपीलांट/वादी को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:06:07 IST
Reason: SelfAttested